सप्तदश माला, खंड 19, अंक 5 **शुक्रवार, 22 जुलाई 2022**
31 आषाढ़, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 19 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

रवीन्द्र कुमार मैड़
संयुक्त निदेशक

डॉ. नील कमल
संपादक

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिंदी संस्करण का अनुवाद कृत्रि मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिंदी संस्करण में सम्मिलित मूल हिंदी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिंदी अनवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 19, नौवां सत्र, 2022 / 1944 (शक)

अंक 5, शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 / 31 आषाढ़, 1944 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	11-16
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 82	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	17
तारांकित प्रश्न संख्या 83 से 100	
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 18-27

विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति

14वां प्रतिवेदन 28

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

17वां प्रतिवेदन 29

सभा का कार्य 30

लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के एक सदस्य के सहयोजन के लिए प्रस्ताव 31

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय बढ़ाया जाना 32

नियम 377 के अधीन मामले 33 -46

(एक) एटा से आगरा होते हुए दिल्ली तक एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) 33

(दो) बिहटा-औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना के बारे में

श्री सुशील कुमार सिंह 34

(तीन) असम के बिस्वनाथ चरियाली तथा गोहपुर रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री पल्लब लोचन दास 35

(चार) धोखाधड़ी वाली पोंजी स्कीम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावी कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां 36

(पांच) बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को ग्वालियर-झांसी-कानपुर एक्सप्रेस-वे से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग शर्मा 37

(छह) झारखंड की 'भुईन्हर मुंडा'/भुईन्हर जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह 38

(सात) ऑनलाइन गेम्स के लिए एक नियामक बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री विवेक नारायण शेजवलकर 39

(आठ) कादिरूर में कलारी अकादमी एवं संग्रहालय की स्थापना के बारे में

श्री के. मुरलीधरन 40

(नौ) नौकरियों एवं पदोन्नति में आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में

डॉ. डी. रविकुमार 41

(दस) भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत लौटने वाले श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी 42

(ग्यारह) धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वृत्तचित्रों के निर्माण के खिलाफ उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल रमेश शेवाले 43

(बारह) मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि के बारे में

44

श्री हिबी ईडन

(तेरह) कालानमक चावल को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (एपीईडीए एक्ट) के अंतर्गत विशेष उत्पादों की सूची में शामिल करने के बारे में

श्री जगदम्बिका पाल 45

(चौदह) राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के घटिया निर्माण के बारे में

श्री हनुमान बेनीवाल 46

अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा 48

सभा की बैठक

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 48-65

विचार के लिए प्रस्ताव 49

डॉ. जितेन्द्र सिंह	49-51, 60-61, 63, 65
श्री जयंत सिन्हा	52-54
श्री भर्तृहरि महताब	55-58
खंड 2 से 57 और 1	64-65
पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव	65

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 / 31 आषाढ़, 1944 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 81, श्री थोमस चाज़िकाडन।

… (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.01 बजे</u>

इस समय, श्री कोडिकुन्निल सुरेश, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, श्री गुरजीत सिंह औजला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आप सब को बोलने की इज़ाजत दूँगा। आप प्रश्न काल में व्यवधान न करें। यह प्रश्न काल आपका है। यह सदन आपका है। मेरा काम सदन को व्यवस्था से चलाने का है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर सब सामूहिकता से निर्णय करके सदन चलाना चाहते हैं तो उचित रहेगा। मैं सदन चलाना चाहता हूँ। देश की जनता चाहती है कि सदन चले। इसलिए, यहाँ चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप विराजें। आप सीनियर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ।

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[1]

[हिन्दी]

(प्रश्न संख्या 81)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती जसकौर मीना जी।

… (व्यवधान)

श्रीमती जसकौर मीना: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि प्रश्न के उतर में माननीय मंत्री जी ने यह अवगत कराया कि पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुम्बई में चार अपीलीय न्यायपीठ की स्थापना की जा सकती है। ... (व्यवधान) इसके साथ ही यह उतर भी है कि न्यायपीठ की स्थापना का औचित्य नहीं है।... (व्यवधान) लेकिन, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के मुकदमों का निस्तारण करने के लिए इन प्रांतों में न्यायपीठ की आवश्यकता है।... (व्यवधान) क्या मंत्री जी यह आश्वासन देना चाहेंगे? … (व्यवधान) क्या वे महिलाओं के लिए स्वतंत्र न्यायपीठ की घोषणा करके, उन महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? … (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल माननीय उच्चतम न्यायलय के विभाजन का था।... (व्यवधान) माननीय सदस्या जी ने महिलाओं को जोड़ते हुए, अलग से व्यवस्था का सवाल पूछा है। मैं

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

उनकी सोच और सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आज का जो मुख्य सवाल है...(व्यवधान) [अनुवाद] मुख्य प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अलग-अलग पीठों में विभाजित करने के बारे में है। [हिन्दी] यह सवाल उससे डायरेक्ट्ली जुड़ा हुआ नहीं है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। … (व्यवधान) भारत के विधि आयोग ने अपने 229वें प्रतिवेदन में माननीय उच्चतम न्यायालय को दिल्ली में एक संवैधानिक पीठ और चार क्षेत्रों, अर्थात् दिल्ली, चेन्नई/हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में कैसेशन पीठों में विभाजित करने की आवश्यकता के बारे में सुझाव दिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए यह भी कहा जाता है कि इसमें संवैधानिक और विधि नाम के दो प्रभाग शामिल हैं। … (व्यवधान) भारत में न्याय व्यवस्था पर बहुत ज्यादा बोझ है। मई, 2022, तक 4.7 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं।

इनमें से 87.4 प्रतिशत अधीनस्थ अदालतों में और 12.4 प्रतिशत उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। लगभग 1,82,000 मामले 30 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित हैं। लेकिन यह बढ़ोतरी इन मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या में परिलक्षित नहीं होती है। क्या माननीय मंत्री मामलों के तेजी से निपटान और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे या किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा प्रदान कर सकते हैं?

स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तर्ज पर एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर विचार किया गया था। विधि आयोग के 14वें प्रतिवेदन में वर्ष 1958 में भी इसका प्रस्ताव किया गया था जिसे बाद में जिसका भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी समर्थन किया था। इस तरह की पहल से न्यायपालिका में लगातार होने वाले रिक्त पदों और विचाराधीन मामलों पर नजर रहेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा हूँ कि क्या सरकार इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

श्री किरेन रिजीजू: महोदय, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं और कुछ मुद्दे उठाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के मुद्दे से संबंधित है। वास्तव में, विधि आयोग पहले ही तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुका है।

माननीय सदस्य द्वारा पहले ही एक प्रतिवेदन का उल्लेख किया जा चुका है। विधि आयोग द्वारा 2009 में प्रस्तुत किया गया 229वां प्रतिवेदन, नवीनतम प्रतिवेदन है। इससे पहले, विधि आयोग द्वारा 1984 में 95वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और 1988 में दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। भारत के विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत सभी प्रतिवेदन में, उन्होंने सिफारिश की है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन उस प्रस्ताव पर मतभेद हैं।

मैं विभिन्न विचारों के बारे में विस्तार से बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले के महत्वपूर्ण हिस्से का उल्लेख भी करना चाहूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भेजा गया था और 18 फरवरी, 2010 को दिए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय की पूरी पीठ ने निर्णय लिया कि इस सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह न्यायसंगत नहीं है और तर्क के रूप में कई मुद्दों का उल्लेख किया गया है, लेकिन मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। यदि आवश्यक हो, बड़ी चर्चा हो तो मैं इस सम्मानित सदन को विस्तार से बताना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का मौका दिया।... (व्यवधान) देश भर में पांच लाख से भी ज्यादा लोग बेल एप्लीकेशन के कारण जेल में बंद पड़े हुए हैं।... (व्यवधान) देश के प्रधान मंत्री ने एक साल पहले आवाज उठाई।... (व्यवधान) हमारे लॉ मिनिस्टर इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं।...(व्यवधान) उन्होंने राजस्थान राज्य में जाकर अपने मन की भावना व्यक्त की।...(व्यवधान) बहुत सारे लोग, पैसे नहीं है, इसलिए जेल में बंद पड़े हैं।... (व्यवधान) बहुत से लोगों की बेल नहीं हुई, इसलिए वे जेल में बंद पड़े हैं।... (व्यवधान) बहुत से लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वे जेल में बंद पड़े हैं।... (व्यवधान) लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि 15 अगस्त से पहले इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और उनको उनके प्रयास के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि क्या आप 15 अगस्त के पहले इसके बारे में कोई अंतिम फैसला करेंगे? … (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान) आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कई इंपोर्टेंट फैसले किए गए हैं।… (व्यवधान) खासकर यह वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।...(व्यवधान) सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के माध्यम से एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है।… (व्यवधान) इसके तहत जो कन्विक्ट्स हैं, जो कई सालों से जेलों में पड़े हुए हैं, जिनको हम चाहते तो निकाल सकते थे, लेकिन कई कारणों से नहीं निकाल पाए।… (व्यवधान) उनको स्पेशल रिलीज करने का एक फैसला हुआ है। … (व्यवधान) नालसा के माध्यम से हम लोगों ने लीगल असिस्टेंस देने का फैसला किया।… (व्यवधान) हाल ही में, जयपुर में जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेज़, देश के सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेज़ वहां मौजूद थे, तब मैंने एक घोषणा भी की।… (व्यवधान)

नालसा का कार्यक्रम चलता है, उसके तहत जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, उनको हम लीगल अस्सिटेंस देंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज के माध्यम से और उनके नेतृत्व में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी है, उसके माध्यम से स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, जिनको रिलीज करना चाहिए … (व्यवधान) उनको लीगल सर्विस नहीं मिलने की वजह से वे जेलों में पड़े हुए हैं। … (व्यवधान) अमृतकाल में ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर सकें। कानून के तहत इसकी घोषणा की है, कोर्ट और सरकार एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 82, श्री के. नवासखनी **।**

(प्रश्न संख्या 82)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मछुआरे पर महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आप यहां नारेबाजी करने आए हैं या प्रश्न पूछने आए हैं? क्या नारेबाजी और तख्तियां लगाने के लिए आए हैं? आप संसद के बाहर नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन यहां सदन के अंदर आप प्रश्न पूछें, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रतन लाल कटारिया जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष जी, गवर्नमेंट ने बार-बार कहा है, **[अनुवाद]** जैसे ही माननीय वित्त मंत्री जी ठीक होकर वापस आएंगी, **[हिन्दी]** आप जब बी.ए.सी में निर्णय करते हैं कि हम प्राइस राइज के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो मेन्शन करना चाहते हैं, उसके लिए भी जीरो ऑवर में समय दे सकते हैं। हमको कोई एतराज नहीं हैं, आपकी अनुमति से वे बोल सकते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन ये क्या करना चाहते हैं, … (व्यवधान) प्रश्न काल भी नहीं चलने देना चाहते हैं, डिबेट भी नहीं करना चाहते हैं। बिल भी पारित नहीं करना चाहते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, यह सदन चर्चा करने के लिए है। **[अनुवाद]** इस सभा के अधिकांश माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रश्नकाल चले। वे सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं... (*व्यवधान*) मैं इस रवैये की निंदा करता हूँ। जैसे ही माननीय वित्त मंत्री जी के स्वस्थ होकर आएंगी, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। … (*व्यवधान*) वे सदन और माननीय सदस्यों के कद को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस रवैये की निंदा करता हूँ… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री रतन लाल कटारिया जी।

श्री रतन लाल कटारिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारे विश्व के अंदर 21 जून को योग दिवस के रूप में प्रचलित किया है, आज सारा संसार प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करते हुए योग दिवस को मना रहा है। … (व्यवधान)

इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि भारत की महिलाओं में अक्सर अनीमिया की कमी पाई जाती है। क्या हम अवेयरनेस फैलाकर इस योग के माध्यम से … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह विदेश मंत्रालय का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 83

… (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर[2]

(तारांकित प्रश्न संख्या 83 से 100

अतारांकित प्रश्न सं 921 से 1150)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

(डॉ. (प्रो) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी *पीठासीन हुए*)

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय, श्री हिबी ईडन, श्री बैन्नी बेहनन, श्री जसबीर सिंह गिल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं. 2, प्रो. एस. पी. सिंह बघेल

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): माननीय सभापति जी मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7162/17/22]

(3) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान और निकोबार अधिवक्ता कल्याण निधि नियम, 2003 जो 4 जून, 2003 के अंडमान और निकोबार राजपत्र में अधिसूचना सं. 84/2003/एफ.सं. 48-739/2002-एसडब्ल्यू में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी भाषा में), जो 16 जून, 2004 की अधिसूचना सं. 120 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चंडीगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि नियम, 2017 जो 8 सितंबर, 2017 के चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना सं. 8/1/101-1एच(8)-2017/22271 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2009 जो 8 मई, 2009 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 219/याचिका/01/उपसचिवविधि/1932-51में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दिल्ली अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2019 जो 25 सितंबर, 2019 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 2 (22)/लिट./01/खंड4-19/6380-6429 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7163/17/22]

(5) विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7164/17/22]

(6) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 62 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2223(अ) जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 मई, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको परिसीमन आयोग के आदेश जो दिनांक 14 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. ओ.एन.6(अ) और 5 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. ओ.एन.17(अ) में क्रमश: दिनांक 14 मार्च, 2022 का आदेश सं. 1 और दिनांक 5 मई, 2022 का आदेश सं. 2 के रूप में प्रकाशित हुए थे, प्रभावी होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7165/17/22]

(7) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा 2 के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन अधिनियम, 2019 की धारा 60 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. ओ.एन.6(अ) जो 14 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सहयुक्त सदस्यों के विमत प्रस्ताव के साथ जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में है तथा जो 21 मार्च, 2022 (सोमवार) को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जब उस तारीख या उसके पश्चात् इसके द्वारा प्रस्तावों पर आगे विचार किया गया जायेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7166/17/22]

(8) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (1) और जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन अधिनियम, 2019 के भाग-पांच के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. ओ.एन.17(अ) जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7167/17/22]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7168/17/22]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): मैं निभ्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7169/17/22]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) छावनी बोर्ड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7170/17/22]

(3) (एक) नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7171/17/22]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7172/17/22]

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7173/17/22]

(5) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7174/17/22]

(7) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7175/17/22]

(9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7176/17/22]

(11) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) विनियम, 2022, जो 6 मई 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एसपी-05/ए-1.वाई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी 7177/17/22]

(12) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति अधिनियम, 2021 की धारा 69 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग 3 (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2022, जो 23 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2360(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी 7178/17/22]

(13) ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चिकित्सा उपकरण (तीसरा संशोधन) नियम, 2022, जो 18 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओषधि (चौथा संशोधन) नियम, 2021, जो 18 मई, 2022के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चिकित्सा उपकरण (चौथा संशोधन) नियम, 2022, जो15 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 450 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी 7179/17/22]

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. (प्रो.) महेंद्र मुंजपरा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7180/17/22]

(3) (एक) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7181/17/22]

(5) (एक) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.7182/17/22]

———

अपराह्न 12.04 बजे

विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति

14वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं ''भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियां' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

17वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री प्रताप चंद्र षड़ङ्गी (बालासोर): मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के "चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ की गई संधि/समझौते के विशेष संदर्भ में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों सहित देश में बाढ़ प्रबंधन" के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

———

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं यह घोषणा कर रहा हूँ कि सोमवार, 25 जुलाई, 2022 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

1. आज के आदेश पत्र से लिए गए सरकारी कामकाज के किसी भी मद पर विचार: - *[इसमें शामिल हैं:* - भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 पर विचार और पारित करना।*]*

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारित करना:-

   I. कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022;

   II. समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019;

   III. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 और

   IV. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

3. केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022, *के पुरःस्थापन के बाद उस पर विचार एवं पारित किया जाना।*

[हिन्दी]

माननीय सभापति: आईटम नम्बर-11, डॉ. सत्यपाल सिंह जी।

<u>अपराह्न 12.05½ बजे</u>

लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के एक सदस्य के सहयोजन के लिए प्रस्ताव

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री वी.विजयसाई रेड्डी, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, *के स्थान पर* सभा की लोक लेखा समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री वी.विजयसाई रेड्डी, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, *के स्थान पर* सभा की लोक लेखा समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

अपराह्न 12.06 बजे

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक 2021 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय बढ़ाया जाना

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को, जिसे इस सभा द्वारा 18 जुलाई, 2022 को स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा वर्तमान सत्र के पहले सप्ताह तक के लिए बढ़ाया गया था, संसद के मानसून सत्र, 2022 के अंतिम सप्ताह तक के लिए बढ़ाती है।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को, जिसे इस सभा द्वारा 18 जुलाई, 2022 को स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा वर्तमान सत्र के पहले सप्ताह तक के लिए बढ़ाया गया था, संसद के मानसून सत्र, 2022 के अंतिम सप्ताह तक के लिए बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले

माननीय सभापति: अब, नियम 377 – के अधीन मामले - श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)।

[हिन्दी]

…(*व्यवधान*)

(एक) एटा से आगरा होते हुए दिल्ली तक एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) (एटा): सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र एटा कासगंज, उत्तर प्रदेश में पिछड़े जिलों में आता है और उसका प्रमुख कारण है यहां पर आवागमन के साधनों का अभाव। रेल हमारे देश में यातायात के प्रमुख साधनों में से है, जिसे हर कामकाजी व्यक्ति इस्तेमाल करता है। एटा- कासगंज, उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए कोई सीधी रेलगाडी नही है, इसलिए मेरी माननीय रेल मंत्री जी से मांग है कि एटा कासगंज, उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए आगरा होते हुए एक रेलगाड़ी चलाएं, जिससे मेरे क्षेत्र वासी अपनी पढ़ाई, नौकरी, रोजगार और कारोबार के लिए दिल्ली और आगरा आसानी से जा सकें।

(दो) बिहटा-औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना के बारे में

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत वर्ष 2007 में 326 करोड़ रूपए की लागत से बिहटा-औरंगाबाद नई रेल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना का कार्य 2011-12 में पूरा किया जाना था। परियोजना से पटना, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद की जनता लाभान्वित होगी। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अति पिछडा और एल. डब्ल्यू. ई. के अधीन है। परियोजना के लिए कई बार सर्वेक्षण हुआ और किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस भी जारी किया गया। अब परियोजना की प्राक्कलन राशि 326 करोड़ रूपये से बढ़कर 2800 करोड़ रूपए हो गई । अधिकारियों की उदासीनता के कारण प्राक्कलन राशि में काफी वृद्धि हो गई है और इस पिछड़े क्षेत्र की जनता को विकास योजना से वंचित करने का कार्य किया गया ।

मेरा आग्रह है कि बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा कराने हेतु तत्काल कदम उठाया जाए । गया-औरंगाबाद झारखंड राज्य के चतरा, हजारीबाग आदि उग्रवाद प्रभावित जिलों से सटे हैं। वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग है कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में गया, शेरघाटी, बाँके बाजार, इमामगंज, डुमरिया होते हुए झारखंड में डाल्टनगंज को रेल सेवा से जोड़ा जाए। रेल सेवा का यह विस्तार बेहतर स्थानीय संपर्क के साथ उग्रवाद नियंत्रण में उपयोगी होगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: डॉ. सुजय विखे पाटिल: उपस्थित नहीं ; श्री राहुल कस्वां: उपस्थित नहीं।

(तीन) असम के बिस्वनाथ चरियाली तथा गोहपुर रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): महोदय, बिश्वनाथ चारियाली बिश्वनाथ जिले का मुख्यालय है जो उत्तरी असम का एक महत्वपूर्ण शहर है और यहां सरकारी कर्मचारी, रोगी, छात्र, किसान, रक्षाकर्मी और व्यवसायी जैसे बहुत से यात्री अक्सर नई दिल्ली आते-जाते हैं। वर्तमान में, बोगीबील के रास्ते द्वि-साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस और दिल्ली-नाहरलागुन अरुणाचल एक्सप्रेस रेलेगाड़ीयां बिवानाथ और गोहपुर में नहीं रुकती हैं, जिसके कारण हजारों यात्रियों को दिल्ली जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में चढ़ने के लिए रंगापाड़ा अथवा हर्मुती तक यात्रा करनी पड़ती है। … (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से 20505/20506 नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ द्वि-साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस (बोगीबील की ओर) और 22412/22411 दिल्ली-नाहरलागुन अरुणाचल एक्सप्रेस को बिश्वनाथ चरियाली रेलवे स्टेशन और गोहपुर रेलवे स्टेशन पर यथाशीघ्र ठहराव प्रदान किए जाने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, बाकी सदस्यों के नोटिस सभा पटल पर रखे जाते हैं। आप अपने नियम 377 के नोटिस सभा पटल* पर रख दें।

… (व्यवधान)

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(चार) धोखाधड़ी वाली पोंजी स्कीम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : आदर्श क्रेडिट कोआपरेटीव सोसाइटी द्वारा राजस्थान के 20 लाख से अधिक लोगों को जमा की गई राशि पर अधिक व्याज एंव अन्य सुविधाऐ देने का नाम लेकर जाल में फंसा लिया व उनकी खूनी पसीने की कमाई का 8 हजार करोड़ से अधिक रूपये लेकर फरार हो गये है। राजस्थान में इसके अलावा अनेक क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा इस प्रकार की पोंजी स्कीमे चलाकर आम जनता की गाढी कमाई को लूटने का कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्कीमों की वजह से केवल राजस्थान के अनेक नागरिको का करोड़ों रूपये लेकर यह कम्पनियां फरार हो गई है। पीड़ित लोगों द्वारा न्यायालय एंव कानून की शरण ली जा रही है लेकिन लोगों द्वारा जमा की गई राशि उन्हे नहीं मिल पा रही है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी पोंजी स्कीमो द्वारा जनता को लूटा जा रहा है उन पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाए एंव साथ ही आदर्श क्रेडिट कोआपरेटीव सोसाइटी द्वारा जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन्हे राहत प्रदान की जाए।

(पांच) बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को ग्वालियर-झाँसी-कानपुर एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ रुपये की लागत वाली और 296 किलोमीटर की लंबाई वाली यह विशाल परियोजना प्रदान की है, जो बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विकास के स्पष्ट इरादे को दर्शाती है, जिसे पिछली सरकारों ने अनदेखा कर दिया था।

मैं केवल बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को ग्वालियर-झाँसी-कानपुर एक्सप्रेसवे से जोड़ने पर ध्यान देने का अनुरोध कर रहा हूँ। यह झाँसी को भोजला, उन्नाव बालाजी और उन्नाव बालाजी को भांडेर, भांडेर को कोंच और कोंच को जालौन से जोड़ेगा। अंत में, मऊरानीपुर से गरोठ एक्सप्रेसवे को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा सकता है। वहाँ का निरीक्षण क्षेत्र 110 किलोमीटर का होगा जिसका प्रस्तावित परियोजना में विस्तार किया जाना है।

(छह) झारखंड की 'भुईहर मुण्डा/भुईहर जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 के तहत जाति-मुण्डा अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित है, और भुईहर/ भुईहर मुण्डा उसी की उपजाति (शाखा) के रूप में स्थायित्व कायम रखती है। इस समुदाय का प्रमुख निवास विशेषत: झारखण्ड के गुमला और लातेहार के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य में है। भुईहर/भुईहर मुण्डा जाति झारखण्ड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जनजाति में अधिसूचित है।

इस संबंध में डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची द्वारा दिनांक 19.03.2019 के विस्तृत शोध प्रतिवेदन एवं पत्रांक 237, दिनांक 25.02.2021 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार को भेजा गया। झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय को दिनांक 18.02.2021 को भेजा गया था। मंत्रालय द्वारा भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त को दिनांक 28.10.2021 को भेजा जा चुका है। मा जनजातीय मंत्री जी को मेरे द्वारा 07 अप्रैल 2022 को भी पत्र लिखकर आग्रह किया गया है।

अत: मेरा जनजातीय कार्य मंत्री जी से पुन: आग्रह है कि भुईहर मुण्डा/भुईहर जाति को झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करवाने की प्रक्रिया को पूरा करके संसद में इससे संबंधित बिल पेश किया जाये।

(सात) ऑनलाइन गेम्स के लिए एक नियामक बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): बच्चों में ऑनलाइन गेम्स की लत उनके आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा है। यह गेम बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर एवं हिंसक भी बना रहे है। गेमिंग की लत को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीमारी यानी गेमिंग डिसआर्डर के रूप में चिन्हित किया है। दुनिया के कई देश ऐसे गेम्स की लत से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। बहुत ज्यादा हिंसा वाले गेम बंद किए है। बैन का आधार आपत्तिजनक और हिंसक कंटेंट को बताया गया है। भारत में अभी तक इसे लेकर कोई सख्त नियम नहीं हैं। सीनियर आईटी एंड साइबर एक्सपर्टस का मानना है कि हमारे देश में कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है जो ऑनलाइन गेम्स पर कंट्रोल कर पाए और उसे सेंसर करे। इसके लिए भारत सरकार को यह चाहिए कि देश में जो भी गेम लांच हो या वर्तमान में चल रहे है, उनकी उपयोगिता को जांचने के लिये फिल्म सेंसर बोर्ड की तर्ज पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाये, जो ऑनलाइन गेम्स को पैमाने पर परखे और उपयोगिता संबंधि जांच करे। जिससे भारत के भविष्य युवा एवं बच्चे इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं।

(आठ) कादिरुर में कलारी अकादमी और संग्रहालय की स्थापना के बारे में

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन (वडकरा): कलारीपयट्टू, जिसे केवल कलारी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने हाल ही में कलारीपट्टू को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया है। मार्शल आर्ट का एक हिस्सा होने के कारण, कलारीपट्टू की अपनी चिकित्सा प्रणाली है जिसे कलारी चिकित्सा कहा जाता है। कलारीपयट्टू का उल्लेख वडक्कन पट्टुकल में किया गया है, जो केरल के मालाबार क्षेत्र के चेकावर के बारे में लिखे गए गाथागीतों का एक संग्रह है।

मालाबार के लोगों की लंबे समय से इच्छा है कि इस क्षेत्र में कलारी अकादमी और संग्रहालय की स्थापना की जाए। कन्नूर जिले में कादिरूर ऐसी संस्था स्थापित करने के लिए सबसे उचित स्थान है क्योंकि इसका कलारीपयट्टू के साथ ऐतिहासिक संबंध है। कादिरुर गुरुकुल को मथिलुरे गुरुकुल के नाम से भी जाना जाता है, कादिरुर मध्यकाल के एक प्रसिद्ध मार्शल कलाकार थे। कला में रुचि रखने वाले लोगों को मार्शल आर्ट प्रदान करने और पर्यटकों को कलारीपयट्टू से परिचय कराने के लिए कादिरूर में कलारी प्रेमियों के द्वारा एक कलारी अकादमी और संग्रहालय का प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल, केरल में ऐसी कोई संस्था नहीं है। कादिरूर ग्राम पंचायत ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने की इच्छा जताई है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से कादिरुर में एक कलारी अकादमी स्थापित करने का अनुरोध करता हूँ।

(नौ) नौकरियों एवं पदोन्नति में आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में

डॉ. डी. रविकुमार (विलुपुरम): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा 20.09.2020 को प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, आयोग के सुझावों को शामिल करते हुए आरक्षण विधेयक संबंधी विधान का प्रारूप पुन: तैयार किया जाए और संविधान के अनुच्छेद 338(9) के प्रावधानों के अनुसार पुन: प्रारूपित विधेयक पर आयोग की राय भी ली जाए। आरक्षण को, सरकार की 45 दिनों से ज्यादा चलने वाली सभी परियोजनाओं और युवा पेशेवरों की नियुक्ति में भी सख्ती से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण रोस्टर को सख्ती से बनाए रखा जाना चाहिए और उसका पालन भी किया जाना चाहिए। पिछली शेष रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए डी.ओ.पी.टी द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों जैसे संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति, एस.सी/एस.टी सेल की स्थापना आदि का पालन किया जाना चाहिए। केंद्र/राज्य सरकारों के समूह 'क' और 'ख' पदों में अनुसूचित जाति के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 15.06.2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सभी केन्द्रीय/राज्य सरकारों, पी.एस.यू और पी.एस.बी में पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाना जारी रखा जाए। जरनैल सिंह और अन्य बनाम लछमी नारायण गुप्ता और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, सरकार को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पर विचार करना चाहिए।

(दस) भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत लौटने वाले श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी (चेन्नई उत्तर): श्रीलंकाई तमिल गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं जो औपनिवेशिक काल के समय श्रीलंका के चाय बागानों में बस गए थे। इसमें कोई शक नहीं कि वे तमिल भाषी लोग हैं। उनके पूर्वज वर्तमान तमिलनाडु राज्य के निवासी थे। 1948 में स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका सरकार के हाथों उन्हें गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा। श्रीलंका में नरसंहार और क्रूर जातीय संघर्ष देखा गया। वर्ष 1983, इतिहास के सबसे खराब क्षणों में से एक था। श्रीलंका से भारत में तमिल लोगों का वास्तविक पलायन हुआ। जो भी साधन उपलब्ध था उससे वे भारत पहुँचे। हालाँकि, उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से काफी आशाएं थी लेकिन उनकी यह आशा भी समाप्त हो गई क्योंकि यह अधिनियम केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता की अनुमति देता है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं और इसमें श्रीलंका को शामिल नहीं किया गया। सी.ए.ए में श्रीलंका के शरणार्थियों को अनदेखा किया गया है।

मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन श्रीलंका में पहाड़ी क्षेत्रों के चाय बागानों में आंतरायिक बसावट के बाद भारत लौटने वाले इन प्रवासियों और उनके परिवार के सदस्यों को नागरिकता प्रदान करे।

(ग्यारह) धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वृत्तचित्रों के निर्माण के खिलाफ उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): देश में बढ़ते धार्मिक सांप्रदायिक तनाव के बीच, भारत के एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता के द्वारा साझा किए गए एक फिल्म पोस्टर ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। निर्माता ने अपनी फिल्म का एक पोस्टर साझा किया जिसमें देवी काली के वेश में एक महिला को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने पोस्टर को हिंदू धर्म का अपमान माना और फिल्म निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आह्वान किया, जबकि अन्य ने हर समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए कहा। कई राजनीतिक नेताओं ने भी आपत्ति जताई है और फिल्म निर्माता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिल्म निर्माता के अनुसार उसने एक कवि और फिल्म निर्माता के रूप में, अपनी स्वतंत्र दृष्टि में काली को शामिल किया है। हमें स्वतंत्रता की ऐसी अभिव्यक्ति में किसी भी धर्म को अपमानित करने के प्रयास की घोर निन्दा करनी चाहिए। सभी धर्मों का आदर करना हर भारतीय का कर्त्तव्य है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी प्रयास की घोर निन्दा कर सरकार को त्वरित तथा कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

(बारह) मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि के बारे में

[अनुवाद]

श्री हिबी ईडन (एर्नाकुलम): मैं सरकार का ध्यान पिछले दो वर्षों में मिट्टी के तेल की कीमतों में 80 रुपये की अत्यधिक वृद्धि की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मूल्य वृद्धि के बाद कीमत 102 रुपये तक पहुंच गई है जो एक लीटर डीजल की कीमत से ज्यादा और एक लीटर पेट्रोल की कीमत से सिर्फ 5 रुपये कम है। भारी बढ़ोतरी से पारंपरिक मछुआरों पर असर पड़ेगा, जिन्हें ट्रॉलिंग प्रतिबंध के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति है क्योंकि वे नावों के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। जनविरोधी नीतियां आम लोगों और मछुआरों को भारी कर्ज के नीचे दबा रही हैं। सब्सिडी वाला केरोसिन नहीं मिलने के कारण वे खुले बाजार से ज्यादा कीमत पर केरोसिन खरीदने के लिए मजबूर हैं। केरल में 30700 ओ.बी.एम नौकाएं एक वर्ष में 98000 किली मिट्टी के तेल का उपयोग करती हैं, और वित्तीय वर्ष 2021-22 में, राज्य के लिए केवल 15188 किली मिट्टी का तेल स्वीकृत किया गया था। मैं खाद्य एवं वितरण विभाग से प्राथमिकता के साथ इस मामले की जांच करने का आग्रह करता हूँ क्योंकि यह आम लोगों और पारंपरिक मछुआरों के जीवन को खतरे में डालता है।

(तेरह) कालानमक चावल को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (एपीईडीए एक्ट) के अंतर्गत विशेष उत्पादों की सूची में शामिल करने के बारे में

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (ए.पी.ई.डी.ए अधिनियम) को 2009 में संशोधित किया गया था जिसमें धारा 10क को जोड़ा गया था। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विशेष भारतीय उत्पादों की मांग को आवश्यक बढ़ावा मिलेगा। हालाँकि, अभी तक केवल "बासमती चावल" को ही विशेष उत्पादों की सूची में जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के कालानमक चावल को दुनिया भर में भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में लिया जाता है। कालानमक चावल, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का एक विशेष सुगंधित चावल है। यह अपने पोषण संबंधी गुणों और समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इसे बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है और बुद्ध प्रसाद के रूप में इसकी लोकप्रियता के कारण और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रयासों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी मांग ज्यादा है। दुनिया भर में इसके प्रचार-प्रसार के लिए कालानमक चावल को ए.पी.ई.डी.ए के अधीन जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (ए.पी.ई.डी.ए अधिनियम) के अधीन उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर कालानमक चावल को जोड़ने पर विचार करें। इसका फायदा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी लंबे समय तक मिलता रहेगा।

(चौदह) राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के घटिया निर्माण के बारे में [हिन्दी]

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण में बरती जा रही कोताही तथा गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूं कि अजमेर-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य कई जगहों पर किया जा रहा है जो मापदण्डों के अनुसार सही नहीं है एवं डीबीएम कम मोटाई में बिछाया जा रहा है तथा कार्य भी धीमी गति से चल रहा है साथ ही बीकानेर-नागौर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीकानेर-नागौर के भाग का निर्माण किया गया उसकी गुणवत्ता भी सही प्रतीत नहीं हो रही है साथ ही नागौर जिला मुख्यालय में नागौर शहर के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के बाईपास निर्माण में भी कौताही बरती गई और उक्त सड़क के निर्माण में 10 मीटर चौड़े बाईपास का सीसी पेवमेन्ट का कार्य किया गया जो तुरन्त क्षतिग्रस्त हो गया जिसके कारण यातायात का आवागमन भी सुगमता से नहीं हो रहा है, चूंकि नागौर शहर के बाहर रिंग रोड़ की गुणवत्ता सही नहीं होने से सड़क का निर्माण होते ही सड़क का क्षतिग्रस्त हो जाना तथा उपरोक्त वर्णित राजमार्गों के निर्माण में कोताही बरतना व निम्न किस्म की सामग्री निर्माण में उपयोग में लेना व मापदंड़ों के विपरीत कार्य होते जाना अत्यंत खेदजनक है। राजकोष के करोड़ों रूपये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में व्यय होने के बावजूद उनका सकारात्मक परिणाम नहीं आना सरकार की मंशा व राष्ट्रीय राजमार्ग की नीति के विरुद्ध हे और इसके लिए अभियन्ताओं के साथ निर्माण करने वाली सरकारी एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं।

अतः उक्त सड़कों की केन्द्र के स्तर से टीम भेजकर जांच करवाना तथा निर्माण में कौताही बरतने वाले अभियन्तओं व निर्माण करने वाली कार्यकारी एजेंसियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए आर्थिक रूप से भी दंडित किया जाये ताकि राजकोष का दुरूपयोग रूक सके व राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण गुण्वत्तापूर्ण हो सके।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा के लिए है। सरकार की ओर से आपको चर्चा के लिए कहा गया है। आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आप सदन में चर्चा कीजिए। सदन की गरिमा बनाए रखने का यह कोई तरीका नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 12.13 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर दो मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.02½ बजे

इस समय, श्री हिबी ईडन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

[हिन्दी]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मुझे सूचित करना है कि सोमवार, 25 जुलाई, 2022 को सभा की कार्यवाही अपराह्न दो बजे से प्रारम्भ होगी।

… (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: सर, क्या सभा की कार्यवाही सोमवार से दो बजे से होगी?

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, सिर्फ सोमवार को सभा की कार्यवाही दो बजे से होगी।

———————

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 14, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022.

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.04 बजे</u>

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय अंटार्कटिक विधेयक सभा पटल पर चर्चा के लिए रखता हूँ।

[अनुवाद]

महोदय, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करता हूँ[3]:

> "कि अंटार्कटिक विधेयक पर्यावरण और आश्रित तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और अंटार्कटिक संधि को प्रभावी करने हेतु अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा का संरक्षण संबंधी अभिसमय और अंटार्केटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रोटोकाल तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

माननीय सभापति: मंत्री जी, क्या आप बिल पर कुछ बोलेंगे?

… (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसका एक रोचक पहलू भी है।... (व्यवधान) अंटार्कटिक एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है।... (व्यवधान) यह दक्षिणी गोलार्द्ध से 60 डिग्री दक्षिण में है। दक्षिणी गोलार्द्ध का लगभग एक तिहाई हिस्सा अंटार्कटिका का क्षेत्र माना जाता है।... (व्यवधान) यह पृथ्वी पर पाँचवा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। यहां पर हैबिटेट की परिस्थितियां भी कठिन हैं।... (व्यवधान) जलवायु की दृष्टि से

[3] राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

सर्दी के मौसम में तापमान शून्य से 90 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहता है और गर्मियों में भी शून्य से 10 डिग्री तक नीचे रहता है।

यहां पर कोई ज्यादा रिहाइश नहीं है, अधिकतकर शोधक और वैज्ञानिक लोग रहते हैं और उनकी संख्या विभिन्न देशों को मिलाकर 1000 या 5000 से ज्यादा नहीं है।... (व्यवधान) यहां पर लगभग 40 शोध केन्द्र हैं। आज यह जो बिल लाया गया है, जब उस पर चर्चा होगी तो उसके उत्तर में मैं आगे की भी बात करूंगा, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत ने वहां पर अपने दो संस्थान – मैत्री और भारती स्थापित किए हैं।... (व्यवधान) इसी प्रकार अन्य देशों जैसे चीन, जापान, फ्रांस, न्यूजीलैण्ड ने वहां पर अपने-अपने संस्थान स्थापित किए हैं।... (व्यवधान) सन् 1959 में एक सन्धि हुई थी – अंटार्कटिक ट्रीटी, जो सन् 1961 में लागू हुई है और सन् 1983 से भारत भी उस पर हस्ताक्षर करके उसका हिस्सेदार बन गया। ... (व्यवधान)

आरम्भ में 12 देश इस सन्धि का हिस्सा थे, जिनमें अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, साउथ अफ्रीका और सोवियत यूनियन आदि देश शामिल थे।... (व्यवधान) अब इसके 54 देशों में से 29 देश ऐसे हैं, जिनको कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है, अर्थात जो निर्णायक विषय और निर्णायक कार्यवाही होती है, उसमें भाग ले सकते हैं। ... (व्यवधान) आपस में यह मान्यता है कि सभी देश अपनी-अपनी संसदों में इस प्रकार का विधान लाएं, ताकि वहां पर यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है, जिससे कानून का उल्लंघन होता है या कोई ऐसी गतिविधि होती है, जो उस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस ट्रीटी का बुनियादी उद्देश्य अंटार्कटिका को डिमिलिटराइज करना था, ताकि वहां किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि न रहे, जिसमें जमीन को कब्जा करना या किसी तरह की सैनिक कार्रवाई हो।... (व्यवधान) उस ट्रीटी के मद्देनजर और उसकी मान्यता को स्वीकार करते हुए भारत के लिए भी यह बाध्यकारी हो जाता है कि हम इस प्रकार का विधान यहां लाएं कि अगर अंटार्कटिका में इस प्रकार का कोई उल्लंघन होता है तो उससे किस प्रकार से निपटा जाए, उसका क्या समाधान हो और उस पर क्या कार्रवाई की जाए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि अंटार्कटिक विधेयक पर्यावरण और आश्रित तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र कासंरक्षण और अंटार्कटिक संधि को प्रभावी करने हेतु अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा का संरक्षण संबंधी अभिसमय और अंटार्केटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रोटोकाल तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।।"

…(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आप लोग शान्त हो जाइए। अधीर जी, क्या आप कुछ बोलेंगे?

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बात यह है कि सदन को ठप्प पड़े हुए एक हफ्ता हो गया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप इस बिल पर कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, एक मिनट दीजिए। ... (व्यवधान) हम बार-बार गुहार लगाते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : लेकिन यह सरकार अपना अड़ियलपन अपनाते हुए चर्चा नहीं करना चाहती है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर दा, क्या आप इस बिल पर कुछ बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री जयंत सिन्हा जी।

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): माननीय सभापति जी, भारत का यह सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और निर्णायक नेतृत्व के कारण हम लोग विश्वगुरू बनते चले जा रहे हैं। …(व्यवधान) आज माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के बारे में हमें जो बताया है, उससे यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस विधेयक के द्वारा एवं कई अन्य कदमों के द्वारा हम लोग विश्वगुरू बनने का लक्ष्य तेजी से हासिल करते जाएंगे। … (व्यवधान)

यह जो विधेयक लाया गया है, जिसके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने हमें विस्तार से बताया है, यह विधेयक एक व्यापक और दूरदर्शी विधेयक है और इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, जिनके बारे में मैं थोड़े विस्तृत रूप से आपको बताना चाहूंगा। … (व्यवधान) इसका पहला उद्देश्य यह है कि अंटार्कटिक, जो 60 डिग्री लैटीट्यूड से दक्षिण एक कॉंटिनेंट है, जो आज के समय में बिल्कुल अनटच्ड है, इसे हम सुरक्षित रखें। … (व्यवधान) इस कॉंटिनेंट का उपयोग सिर्फ वैज्ञानिक कारणों से हो रहा है, इसलिए वहां पर अमन बनाए रखते हुए, इसको वैज्ञानिक उद्देश्य से हमें सुरक्षित रखना है, जिसे हम इस विधेयक के द्वारा पूरी तरीके से हासिल करने वाले हैं। … (व्यवधान) माननीय विदेश मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। … (व्यवधान) साथ ही साथ, चूंकि हम लोग इसके कंसल्टेटिव पार्टनर हैं, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है, हमें एक जिम्मेदार कंसल्टेटिव पार्टनर की हैसियत से अपने देश में भी ऐसे कानून बनाने हैं, ताकि हम लोगों ने जो इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की हैं, उनको हम अपने कानून के द्वारा इस तरीके से अमल करें। … (व्यवधान)

ये दो मुख्य उद्देश्य हैं, जिनके द्वारा इस अंटार्कटिक बिल को आज सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह भी इसके बारे में समझें, क्योंकि यह न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के कई ऐसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के विषय हैं, जिससे यह अंटार्कटिक जुड़ा हुआ है। मैं इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा। … (व्यवधान)

महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया कि अंटार्कटिक एक ऐसी जगह है, जहां बहुत कम तापमान रहता है। सर्दियों में तापमान माइनस 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और गर्मियों में सिर्फ माइनस 10 डिग्री

सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ... (व्यवधान) इसका ऐवरेज तापमान माइनस 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंटार्कटिक का पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है। इस कारण विश्व का 62 परसेंट जो फ्रेश वाटर है, वह आज के समय अंटार्कटिक की आइस सीट में बना हुआ है, लेकिन जलवायु के कारण धीरे-धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है।... (व्यवधान) पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग काफी तेजी से हो रही है। अब हम लोगों को लग रहा है कि सिर्फ 1.1 डिग्री, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, बल्कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग होती है तो 62 परसेंट जो फ्रेश वाटर है और जो अंटार्कटिक की आइस सीट है, वह धीरे-धीरे पिघलने लगेगी। जब यह धीरे-धीरे पिघलेगी तो विश्व में बहुत संकट आ सकता है।... (व्यवधान)

महोदय, भारत बहुत बड़ा कोस्टल राष्ट्र है। यहां गोवा, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई ऐसे बहुत सारे महानगर और बड़े-बड़े शहर हैं, जो कोस्ट पर है, समुद्र पर हैं। इस प्रकार से अंटार्कटिक के पिघलने से सी लेवल राइज होने लग जाए तो हमारी जो कोस्टल सिटीज हैं, इनमें फ्लडिंग का बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। ... (व्यवधान) इसलिए यहां पर वैज्ञानिक तौर पर समझना कि किस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अंटार्कटिक पर हो रहा है, यह भारत और विश्व के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर वैज्ञानिक मिशन सुरक्षित तौर पर हों और बिना किसी एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन के हों। ये सब हम लोगों को करवाना बहुत जरूरी है।... (व्यवधान)

जब से हम लोगों ने यह ट्रीटी साइन की है, आज तक यहां भारत के 41 साइंटिफिक मिशन हो चुके हैं। हमारे यहां दो साइंटिफिक सेंटर्स हैं। एक भारती का साइंटिफिक सेंटर है, एक मैत्री का साइंटिफिक सेंटर है। इसके अलावा एक गंगोत्री का है, जो टेंपरेरी चलता है, लेकिन वह भी बहुत जरूरी है।... (व्यवधान) यहां 41 साइंटिफिक मिशन हो चुके हैं। आज हमारा 50 से 60 साइंटिफिक स्टाफ अंटार्कटिक में रहता है। इसलिए हम लोगों का यहां पर बहुत साइंटिफिक काम चलता रहता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को इस विधेयक को पारित करना चाहिए।... (व्यवधान)

मैं इस विधेयक के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा कि तीन-चार ऐसे मुख्य मामले हैं, जो बहुत ही दूरदर्शी हैं। विश्व के अन्य देशों ने भी अंटार्कटिक को सुरक्षित रखने के लिए विधेयक पारित किए हैं, लेकिन इस बिल में दो-तीन ऐसे प्रोविजन्स हैं, जो अन्य विधेयकों में नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि अगर अंटार्कटिक में कोई भी साइंटिफिक मिशन जाए तो उसको वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है।... (व्यवधान) वहां का वातावरण किसी तरीके से न बिगड़े, इसके लिए आपको वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। आपको वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी बनाना है कि अगर कोई भी वेस्ट हो तो उसका आप कैसे डिस्पोजल करें। इसका यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।... (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने 14 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है, जिसमें सरकार के हर प्रतिनिधि की जगह है और इसके साथ-साथ एक्सपर्ट्स की भी जगह है। अगर आपको कोई भी परमिट चाहिए तो प्लान इस कमेटी से परमिट लेकर ही अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आप वहां वैज्ञानिक काम कर सकते हैं।... (व्यवधान) तीसरा मामला यह है कि आप वहां पर सिर्फ सीमित काम कर सकते हैं। जैसे उनमें वैज्ञानिक काम हो या वहां जाकर समझ पाएं कि क्लाइमेट में क्या अंतर आ रहा है, अगर इस किस्म का काम है, तभी आपको परमिट मिलता है। यह भी इस विधेयक में पूरे तरीके से बताया गया है। यह बहुत ही व्यापक और दूरदर्शी विधेयक है। मैं इसका सहयोग और समर्थन करता हूं। मुझे पूरी अपेक्षा है कि माननीय सदस्य भी इस पर थोड़ा ध्यान दें और वह भी पूरे तरीके से समर्थन दें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री भर्तृहरि महताब जी।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यह क्या हो रहा है?... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सभी अपनी सीट्स पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलने का अवसर दिया गया था।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, नो।

श्री भर्तृहरि महताब जी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। *....(व्यवधान)* आज की चर्चा का विषय न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। *....(व्यवधान)* आपको याद होगा कि कल जब यह विधेयक विचार-विमर्श के लिए रखा गया था, तो मंत्री जी ने खुले दिल से कहा था कि क्योंकि विपक्ष की अधिकांश सीटें खाली हैं, मैं एक चर्चा करना चाहूँगा जहाँ विपक्ष भी विचार-विमर्श में भाग ले और विपक्ष की भागीदारी के बिना विधेयक पारित करना सरकार की मंशा नहीं है। *....(व्यवधान)* यही कारण है कि विधेयक को स्थगित कर दिया गया था और आज इस पर विचार किया गया है। *....(व्यवधान)* लेकिन मुझे यह देखकर खेद हुआ कि विपक्षी सदस्य अभी भी सदन के बीचो-बीच हैं, और वे अन्य सदस्यों की बात नहीं सुन रहे हैं। *....(व्यवधान)*

जैसा कि मैं कह रहा था, अंटार्कटिका विश्व का श्वेत महाद्वीप है, और यह हमारी पृथ्वी का 5$^{वाँ}$ सबसे बड़ा महाद्वीप है। *....(व्यवधान)* यहाँ मौसम बहुत खराब है, और जैसा कि मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, सर्दियों के दौरान यह -10 से -30 डिग्री तक चला जाता है और कभी-कभी तो गर्मियों के समय भी यहां का कुछ हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है। *....(व्यवधान)*

अंटार्कटिका का क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग कि.मी. है, और इसे पाँचवां सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 98 प्रतिशत भाग लगभग 1.6 कि.मी. बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। *....(व्यवधान)* पृथ्वी की कुल बर्फ का लगभग 90 प्रतिशत भाग अंटार्कटिका में पाया जाता है। चूँकि यह पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ....(*....(व्यवधान)*

महोदय, मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र का इतिहास 140 वर्ष का है। *....(व्यवधान)* लंबे समय तक, अंटार्कटिका मानव अन्वेषण की अंतिम महान सीमा का प्रतिनिधित्व करता था

....(व्यवधान) जहाजों ने सबसे पहले समुद्री यात्राओं पर श्वेत महाद्वीप की सीमाओं को खोजा। *....(व्यवधान)* 20वीं सदी की शुरुआत तक, कुछ लोग अंटार्कटिका की प्रतिकूल जलवायु में जाने का जोखिम उठाने लगे थे। *....(व्यवधान)* बहुत समय पहले ही, जैसा कि कहा गया था, 'दक्षिणी ध्रुव की दौड़' शुरू हो गई थी। मुख्य प्रतियोगियों में इतिहास के कुछ महान खोजकर्ता शामिल थे। *....(व्यवधान)* रोनाल्ड अमुंडसेन, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट, एडवर्ड एड्रियन विल्सन और अर्नेस्ट शैकलटन- सभी ने दक्षिणी ध्रुव की दौड़ में प्रतिस्पर्धा की। *....(व्यवधान)* रोनाल्ड अमुंडसेन का अभियान दल 15 दिसंबर 1911, को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला अभियान दल बन गया, और उनका दल सभ्य दुनिया में सही-सलामत लौटने वाला पहला दल था। *....(व्यवधान)*

महोदय, मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि अंटार्कटिका की बर्फ की चादर पृथ्वी पर बर्फ का सबसे बड़ा हिस्सा है। *....(व्यवधान)* यहां गर्मियों के अंत तक बर्फ लगभग तीन मिलियन वर्ग किलोमीटर से बढ़कर सर्दियों में लगभग 19 वर्ग किलोमीटर हो जाती है। *....(व्यवधान)* जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया था, यह वह घटना है जिसके बारे में हमें अवगत होना चाहिए। *....(व्यवधान)* यदि दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघलती है तो प्रशांत और हिंद महासागर में छोटे द्वीपों के देश पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अंटार्कटिका की बर्फ पूरी मानव जाति के लिए एक महान संपदा है। *....(व्यवधान)*

महोदय, अंटार्कटिका में 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले कई पर्वत शिखर भी हैं।

ट्रांसांटार्कटिक पर्वत महाद्वीप को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। बर्फ की चादर के नीचे एक विशाल प्रायद्वीप और पर्वतीय द्वीपों का द्वीपसमूह है जिसे लेसर अंटार्कटिका या पश्चिमी अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। पूर्वी अंटार्कटिका पुरानी, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। पश्चिमी अंटार्कटिका नवीन, ज्वालामुखीय और तलछटी चट्टानों से बना है। … (*व्यवधान*)

अंटार्कटिका को रेगिस्तान माना जाता है और यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वास्तव में, यह सातों महाद्वीपों में सबसे ठंडा, सबसे तेज़ हवा वाला और सबसे शुष्क महाद्वीप है। … (*व्यवधान*)

यहाँ, मैं यह बताना चाहूँगा कि आसपास का दक्षिणी महासागर, हालांकि, ग्रह पर सबसे ज्यादा जैविक रूप से विविध समुद्री क्षेत्रों में से एक है। यहां होने वाला उभार प्लवक और शैवाल को पनपने देता है।

यह बदले में बड़ी संख्या में मछलियों को आकर्षित करता है, जो बड़ी मछलियों और समुद्री स्तनधारियों के लिए आदर्श भोजन वाली भूमि बनाता है। अंटार्कटिका में ब्लू, फिन, हंपबैक, मिन्के और स्पर्म व्हेल बहुत बड़ी मात्रा में हैं। … (*व्यवधान*) अंटार्कटिका में सील की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें तेंदुआ सील भी शामिल है, जो सभी समुद्री शिकारियों में सबसे ज्यादा आक्रामक है। 400 किलोग्राम का यह शीर्ष शिकारी ज्यादातर पेंगुइन और मछली खाता है। … (*व्यवधान*) अंटार्कटिका का प्राकृतिक आवास है और इस आवास की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हम संयुक्त राष्ट्र समझौते में भी एक दल बनें, जिसके बारे में मंत्री जी ने अभी बताया है। … (*व्यवधान*) महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिका को एक प्राकृतिक रिजर्व के रूप में बढ़ावा देना है जो विज्ञान और शांति के लिए समर्पित है, और यह सुनिश्चित करना है कि अंटार्कटिका अंतरराष्ट्रीय कलह का कारण न बने। यही मूल उद्देश्य है जिसके लिए यह विधेयक पेश किया जा रहा है और मेरा मानना है कि पार्टी से अलग हटकर सभी को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए। … (*व्यवधान*) भारत के अंटार्कटिका में दो अनुसंधान केंद्र हैं 1989 से मैत्री और 2012 – से भारती - और हमारा देश अब तक इस महाद्वीप में 41 अभियान लॉन्च कर चुका है। अंटार्कटिका संधि पर 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन डी.सी. में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने 19 अगस्त, 1983 को अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए और 12 सितंबर, 1983को सलाहकार का पद पाया। यह संधि 60 डिग्री अक्षांश के दक्षिण क्षेत्र और 27 देशों को शामिल करती है, जिनमें से कुछ नामों का उल्लेख मंत्री जी पहले ही कर चुके हैं। … (*व्यवधान*) विधि की आवश्यकता होती है। जबकि भारत पिछले 40 वर्षों से अंटार्कटिका में अभियान दल भेज रहा है। इन अभियानों को अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा सीमित कर दिया गया है। यह विधेयक, अब वैज्ञानिक अभियानों के साथ-साथ व्यक्तियों, कंपनियों और पर्यटकों के लिए अंटार्कटिका से संबंधित नियमों की एक विस्तृत सूची पेश करता है। यह मुझे याद दिलाता है कि डी.आर.डी.ओ ने क्या किया है।' आज ज्यादातर ट्रेनों में जो बायो-टॉयलेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी खोज असल में डी.आर.डी.ओ में हमारे

वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। जिन्हें अंटार्कटिका में प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। वैज्ञानिक अन्वेषण ने जो सीधा प्रभाव डाला है, वह बहुत ही आवश्यक है। ... (*व्यवधान*) मुझे विधेयक की मुख्य विशेषताओं के बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि यह न केवल हमारे देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। हम महान भाईचारे व अंतरराष्ट्रीय भाईचारे का हिस्सा बनेंगे और इसलिए मैं मानता हूँ कि हर किसी को इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करना चाहिए।

धन्यवाद। ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: अब आपके नेता कुछ कहने जा रहे हैं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, आप मुझे मेरी बात खत्म होने तक बोलने का मौका दीजिए।

माननीय सभापति : आप इस बिल पर ही बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं बिल पर बोलूंगा, लेकिन मेरी बात खत्म होने तक आपको समय देना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

सर, इन लोगों की बात में आकर जबरदस्ती मत किया कीजिए। ... (व्यवधान) आप हमारे कस्टुडियन हैं। ... (व्यवधान) सरकार इस तरीके से हमारे ऊपर क्यों जुल्म कर रही है? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कल आप अनुपस्थित थे, इसलिए इस बिल पर चर्चा आज हो रही है। अब, कृपया सहयोग करें।

... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : प्लीज, सब लोग अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी जी - आप बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मंत्री जी हमें अंटार्कटिक बिल की अहमियत समझा रहे थे। इसकी अहमियत के मद्देनजर पहले ही, जिस समय यह अंटार्कटिक बिल इस सदन में इन्ट्रोड्यूस हुआ था, उस समय मैंने खुद खड़े होकर इस बिल को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए, इसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ सलाह दी थी। अभी भी इसमें भाग लेने में हम काफी दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन हम क्या करें? यह सरकार एक बीएसी मीटिंग करके, उसमें हम सबको बुलाकर एक बार चर्चा कर ले, तो सब कुछ आराम से चल सकता है। हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो इसमें शिरकत करना चाहते हैं। सिर्फ मेरी पार्टी के ही नहीं, दूसरी पार्टीज के भी मेंबर्स हैं।

इस बिल की अहमियत के मद्देनजर सबको इसमें शिरकत करना जरूरी है, लेकिन ये क्या करते हैं? अपने बलबूते पर, किसी की परवाह न करते हुए, इस अहम बिल को पास करवाने जा रहे हैं। मैं इनको यह सलाह देना चाहता हूं कि एक बार अपोजीशन पार्टीज के सारे फ्लोर-लीडर्स को मीटिंग में बुलाकर एक मिनट में समाधान हो जाएगा।

सर, जैसे आज अंटार्कटिक बिल पर चर्चा हो रही है, वैसे ही हिन्दुस्तान की आर्थिक हालत में भी अंटार्कटिक जैसे हालात हो गए हैं। ... (व्यवधान) इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप हमें मौका नहीं देंगे, तो हम वॉक-आउट करेंगे। … (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.26 बजे</u>

इस समय, श्री अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति जी, जैसे कि अभी इस बिल पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए हमारे मित्र और सांसद साथी माननीय श्री जयंत सिन्हा जी और महताब साहब ने कहा, अंटार्कटिक का एक विशेष महत्व भी है और एक बड़ी ही रोचक भौगोलिक परिस्थिति भी है। ... (व्यवधान)

जैसा कि इन्होंने अभी बताया, गर्मी के मौसम में वहां शून्य से दस डिग्री कम का तापमान और सर्दियों में शून्य के नीचे 90 डिग्री तक का तापमान रहता है। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने पहले ही दे दी है, इस पर बहुत अधिक विवाद नहीं है। मेरा मात्र इतना कहना है कि आज अंटार्कटिक बिल लाने का उद्देश्य क्या है? मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत अधिक विषय नहीं उठे हैं।

वर्ष 1959 में यह ट्रीटी हुई थी और भारत इस पर वर्ष 1983 में हस्ताक्षर करके इसका हिस्सा बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंटार्कटिक की जमीन को किसी भी सैनिक या किसी अन्य कारण से दुरुपयोग में न लाया जाए। इसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है - विसैन्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए, ताकि वहां कोई मिलिट्री एक्टिविटी न हो। दूसरा, कोई भी देश किसी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी या गैर-कानूनी एक्टिविटी न करे, क्योंकि यह लगभग निर्जन भूमि है। उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न न हो, संभावना न हो। कोई न्युक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए उस जमीन का इस्तेमाल करे, ऐसा न हो।

कुल मिलाकर यह सुनिश्चित करना कि जितने भी देशों के वहां संस्थान हैं, जैसे महताब साहब ने बिलकुल सही फरमाया 'मैत्री' और 'भारती' भारत के संस्थान हैं, वे अपने आप को शोध तक सीमित रखें या फिर और कुछ एक प्रयोग हैं, जो जलवायु या भौगोलिक संबंधित हैं, उन तक सीमित रखें। चूंकि भारत के भी वहां दो संस्थान हैं और दूसरे देशों के भी हैं, इसलिए इसी ट्रीटी के अंतर्गत यह तय किया गया कि एक विधान लाया जाए, हर देश लाए। एक मान्यता थी कि उसी देश का विधान या कानून उसके अपने क्षेत्र में लागू हो।

अब चूंकि हमारे भी दो संस्थान हैं, तो जाहिर है कि भारत का ही कानून वहां एप्लिकेबल होगा। यानी डीमिलेट्राइजेशन तो है ही, वह हमने सुनिश्चित किया, उसको किसी प्रकार से इललीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, यह भी सुनिश्चित हुआ, परंतु उसके बावजूद कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो किस कानून के तहत कार्रवाई की जाए? आप जानते हैं कि दुनिया भर में कोई न कोई, किसी न

किसी तरह का कानून, किसी न किसी स्वरूप में, हर देश में, हर क्षेत्र में लागू है। यह चूंकि ऐसा क्षेत्र है, जिस पर किसी देश की प्रभुसत्ता नहीं है, इसलिए भारत का कानून भारत के हिस्से के क्षेत्र में लागू हो, मात्र इतना इसका उद्देश्य है।

जब यह बिल पास हो जाएगा, तो उसके उपरांत हमारे यहां एक समिति गठित की जाएगी, जिसके अध्यक्ष पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव होंगे।

महोदय, उस समिति में अन्य मंत्रालयों के भी प्रतिनिधि रहेंगे क्योंकि फिशरीज का कुछ न कुछ काम चलता रहता है। डिफेंस का काम तो है ही, शिपिंग, पर्यावरण, स्पेस, टूरिज्म का भी काम है। इसलिए, इस बिल का बहुत ज्यादा उस तरह का व्यापक इम्प्लीकेशन नहीं है। इस बिल के पास होने के बाद भारत का कानून उस महाद्वीप में विद्यमान भारतीय संस्थानों और वहां निवास करने वाले भारतीय कर्मचारियों पर लागू होगा।.... (*व्यवधान*)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): सभापति जी, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय, अंटार्कटिक एक वर्जिन लैंड है और वहां बर्फ ही बर्फ है और उसकी सतह बहुत मोटी है। उसके नीचे सारी चीजें हैं और वे वर्जिन केटेगरी में हैं। मंत्री जी ने कहा कि कोई इललीगल माइनिंग न हो, उसके नीचे वर्जिन पोली मैटेलिक मोड्यूल्स हैं, कोबाल्ट है, निकेल है और गैस भी है। उसके नजदीक ही नार्वे है। नार्वे आज की तारीख में सबसे ज्यादा ऑयल बेचता है और उसके आस-पास से ही सारा तेल और गैस निकलती है, क्रूड निकलता है। उसकी सतह के नीचे से ही निकल रहा है। जब हमारी साइंटेफिक आर्गेनाइजेशन्स इस पर रिसर्च करती हैं तो क्या इसका पता लगाती हैं कि जब इस इलाके से तेल और गैस निकाला जा रहा है, तो उसका प्रभाव अंटार्कटिक के इस क्षेत्र में कितना पड़ रहा है। हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, किंतु नीचे से गैस और ऑयल निकाल लिया जाए, तो यदि उस सतह की अंतत: फिलिंग प्रोपर न हो, तो वह सतह बैठने लगती है। हमें भविष्य के लिए यह भी चिंता करनी है कि वहां खनन से जो जगह खाली होगी और वहां बर्फ सब्साइड होने लगेगी, तो भूकंप का भी खतरा है। सिस्मोलॉजिक स्टडीज से पता चलता है कि भूकंप आते हैं और वे केवल धरती पर ही नहीं आते हैं, समुद्र के अंदर भी आते हैं। इसी तरह अर्थक्वेक अंटार्कटिका के नीचे भी होते हैं। उन सभी चीजों

को स्टडी करके उनके प्रोटेक्शन के लिए विश्व गुरू बनकर भारत एक अच्छा काम कर सकता है और इस क्षेत्र के सेंटर वहां बनाने की जरूरत है। आपने अनाधिकार अनुप्रेवश को रोकने के लिए एक समिति बनाई है, यह अच्छी बात है किंतु इसमें कल यदि प्राइवेट ऑपरेटर्स और प्राइवेट प्लेयर्स जाने लगेंगे तो उतना अंकुश नहीं लग सकेगा, क्योंकि उसका कमर्शियल एक्सप्लायटेशन करने की बात होगी।

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में रोशनी डालें।

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : महोदय, मैं आपके समक्ष अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : यदि बिल से संबंधित कोई क्लेरीफिकेशन है, तो आप संक्षेप में बोलिए, [अनुवाद] ताकि माननीय मंत्री उसका उत्तर दे सकें।

श्री रवि किशन: महोदय, मैं एक गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक पर एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ, जिसका मैं 2019 से इंतजार कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): महोदय, मैं विधेयक के खंड 2 के संबंध में माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूँ जिसमें प्रावधान है कि यह अधिनियम भारत के नागरिकों पर लागू होगा। लेकिन साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि यह किसी अन्य देश के नागरिकों के साथ-साथ भारत के बाहर पंजीकृत किसी भी जहाज अथवा विमान पर भी लागू होगा। ... (*व्यवधान*)

अधिकार क्षेत्र के आधार पर, इसे भारत के बाहर पंजीकृत जहाज और भारत के गैर-नागरिकों तक कैसे बढ़ाया जा सकता है? ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री अहलूवालिया साहब इस विषय के जानकार हैं और पूरा अध्ययन करके इन्होंने अपनी बात रखी है। इनका कहना ठीक है कि उसके आगे-पीछे दूसरे देश भी हैं और उन्होंने भी अपने संस्थान वहां पर स्थापित किए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर नॉर्वे केवल 100 किलोमीटर दूर है। हमारी जो लैबोरेट्रीज हैं, उनका संस्थान भी है। इस ट्रीटी की कल्पना भी इसीलिए की गयी थी कि कोई भी देश इस प्रकार की लालसा में या प्रवृत्ति में न आए कि जैसे कोई ऑयलिंग की एक्टिविटी करनी है या माइनिंग की एक्टिविटी करनी है। इस बात को लेकर एक साझा समझौता हो। कुल मिलाकर अंटार्कटिक के साथ संबंधित 3 ट्रीटियां हैं। एक तो यही ट्रीटी है, जिसके तहत हम यह बिल ला रहे हैं। दूसरा, अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा का संरक्षण संबंधी अभिसमय, यानी, वहां पर दूसरी तरह के जो रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए। तीसरा पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रोटोकॉल है, जिसकी ओर माननीय अहलूवालिया जी ने भी इशारा किया। ... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.37 बजे</u>

इस समय, डॉ. मोहम्मद जावेद श्री राजमोहन उन्नीथन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि अंटार्कटिक पर्यावरण और आश्रित तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और अंटार्कटिक संधि को प्रभावी करने हेतु अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा का संरक्षण संबंधी अभिसमय और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रोटोकाल तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने-अपने संशोधन दिए हैं, उनमें से केवल श्री रितेश पाण्डेय जी उपस्थित हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

<u>खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

खंड 6 अंटार्कटिक में प्रवेश के लिए जलयान या वायुयान के लिए अनुज्ञा देना

माननीय सभापति: श्री रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सर, मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 23 के पश्चात् –

"परन्तु यह और कि कोई भी अधिकृत टूर ऑपरेटर 500 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले जलयानों का उपयोग अंटार्कटिक में प्रविष्टि से नहीं कराएगा।"

"परन्तु यह और कि किसी भी समय किनारे पर यात्रियों की संख्या 100 या उससे कम हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।"

"परन्तु यह और कि समुद्र तटों पर गाइड और यात्री का न्यूनतम अनुपात 1:20 रखा जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।"

अंत: स्थापित करें। (12)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 से 57 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि विधेयक पारित किया जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाइए। आपको पूरा अवसर दिया गया।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर जी, कल केवल आपकी अनुपस्थिति का सम्मान करते हुए विधेयक पर आज विचार हुआ। आपको पूरा अवसर दिया गया। प्लीज, ऐसा न करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, 25 जुलाई, 2022 को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 2.39 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 25 जुलाई 2022 / 3 श्रावण, 1944 (शक) के अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित